

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक:प.11(24)वित्त/आब/2016


दिनांक: 05.06.2020

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित स्थानों पर राज्य हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	रिमार्क
1.	श्री रियाजुद्दीन उस्मानी	जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा	जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	रिक्त स्थान पर
2.	श्री जयकृत सिंह	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त सिरोही	श्री उम्मेदाराम (APO करने के कारण) के स्थान पर
3.	श्री संजय कुमार अखावत	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त जालौर	आदेशों की प्रतीक्षा में	--
4.	श्री पुनीत शर्मा	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त सिवाना, बाड़मेर	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त जालौर	श्री संजय कुमार अखावत के स्थान पर
5.	श्री कीर्ती सिंह मीणा	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त राजगढ़, अलवर	आदेशों की प्रतीक्षा में	--
6.	श्री सुमेर सिंह मीणा	सहायक आबकारी अधिकारी, सामान्य शाखा, दौसा	जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा	श्री उस्मानी के स्थान पर (कार्यवाहक)
7.	श्री शिव कुमार चौधरी	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त कोटा उत्तर	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त सुमेरपुर, पाली	श्री शम्भु सिंह के स्थान पर
8.	श्री शम्भु सिंह	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त सुमेरपुर, पाली	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त कुशलगढ़, बांसवाड़ा	श्री जयकृत सिंह के स्थान पर
9.	श्री मुकेश भाखर	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त राजगढ़, चुरू	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त झुन्झुनू दक्षिण	रिक्त स्थान पर
10.	श्री प्रेमराज बिश्नोई	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त जैसलमेर	आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त पूंगल, मु. लूणकरणसर, बीकानेर	रिक्त स्थान पर


राज्यपाल की आज्ञा से,



(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा10 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव